न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

<u>जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–96/2026</u>

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) जे.ओ. कोड–यू.पी.2412

UPSN010002712026

शुद्ध कुमार बिंद उर्फ़ सिद्धू बिन्द पुत्र रामपाल बिंद निवासी बौरीबोझ, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही।

.......अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन

अपराध सं० 60 सन् 2025
धारा– 115(2), 352, 351(3), 117(2)बी.एन.एस
व धारा 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–दुर्गागंज, जनपद–भदोही

<u>दिनांक 09.03.2026</u>

1. नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त शुद्ध कुमार बिंद उर्फ़ सिद्धू बिन्द पुत्र रामपाल बिंद निवासी बौरीबोझ, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही, मु०अ०सं०–60/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 117(2)बी.एन.एस व धारा 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–दुर्गागंज, जिला–भदोही का नियमित जमानत पत्र सुना गया। प्रार्थी/ अभियुक्त 27.01.2026 से न्यायालय के आदेश से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा में माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके माननीय न्यायालय के न्यायिक अभिरक्षा में है। यह कि प्रार्थी वादी मुकदमा को न तो मारा पीटा न तो जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करके अपमानित किया और न तो गाली दिया न तो जान से मारने की धमकी दिया महज रंजिशन प्रार्थी के उपर नाजायज दबाव डालने की मंशा से उक्त मुकदमा कायम कराया गया है, प्रार्थी सीधा शरीफ आदमी है और प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी ने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। यह कि प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है जमानत मुचलका पर रिहा होने पर जमानत मुचलका का कोई दुरुपयोग नही करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की आज्ञा प्रदान किया जाए ताकि न्याय हो।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थी रंजीत कन्नोजिया पुत्र धर्मेंद्र कन्नोजिया निवासी ग्राम हरिपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही का निवासी है। दिनांक 19/5/2025 को प्रार्थी के पिता धर्मेंद्र कन्नौजिया पुत्र होरीलाल, गांव के सदाशंकर बिन्द के लड़के की शादी में गए थे रात्रि मे बारात मे नाच का कार्यक्रम हो रहा था इसी बीच लगभग 12 बजे

रात्रि में बराती और घराती के बीच विवाद हो गया जिसको प्रार्थी के पिता धर्मेंद्र कन्नौजिया व और बाराती मामले को शांत करा दिए उसके बाद रात्रि में पड़ोसी, घराती के बगल के थे, राहुल बिन्द पुत्र रंगलाल बिन्द व सिदधु बिन्द पुत्र रामपाल बिंद तथा ठाकुर बिंद पुत्र मोहन बिंद निवासी चौर बौरी बौझ थाना दुर्गागंज ने प्रार्थी के पिता धर्मेंद्र कन्नौजिया को गाली देते हुए लात घुसा, लाठी से मारने लगे लोगो के बीच बचाव करने पर वो लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए प्रार्थी के पिता का दाहिना पैर फैक्चर हो गया जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर ले जाया गया वहां से जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर कर दिया गया, जिनका ईलाज चल रहा है। उपरोक्त सूचनानुसार सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. वादी मुकदमा द्वारा काउंटर शपथपत्र दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि कि शपथकर्ता उपरोक्त मुकदमे का वादी मुकदमा है तथा मजरूब धर्मेन्द्र कन्नौजिया का पुत्र है व घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। यह कि अभियुक्त सिद्धू बिन्द ने झूठे तथ्यो के साथ झूठा कथन करके जमानत प्रार्थना पत्र दिया है। यह कि मुकदमा उक्त मे सिद्धू बिन्द नामित अभियुक्त है जबकि अभियुक्त ने गलत ढंग से शुद्ध बिन्द के नाम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जिस बिना पर जमानत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। यह कि अभियुक्त ने किस अपराध सं० मे जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है का भी उल्लेख अपने जमानत प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित नही किया है। यह कि शपथकर्ता के पिता चोटहिल धमेन्द्र कन्नौजिया एक राजनैतिक व्यक्ति है और जाति का धोबी है। जो कई वर्षो से राजनैतिक पार्टी में रहकर विधानसभा व जिला पंचायत क्षेत्र व क्षेत्र पंचायत क्षेत्रो के चुनाव में प्रचार प्रसार करने हेतु अभियुक्तगण आदि के गाँव व भदोही जनपद के अन्य क्षेत्र में आते जाते रहे है। जिससे अभियुक्त सिद्धू व अन्य अभियुक्तगण को पूर्व से जानते व पहचानते है। यह कि दिनांक 19.05.2025 को शपथकर्ता अपने पिता चोटहिल धर्मेन्द्र कन्नौजिया को लेकर गाँव के ही सदाशंकर बिन्द के लडके के शादी में बौरीबोझ चौर मे गये थे कि रात्रि मे बारात मे नाच का कार्यक्रम हो रहा था इसी बीच लगभग 12 बजे रात्रि मे घराती पक्ष के अभि० सिद्धू व अन्य सहअभियुक्तगण राहुल बिन्द व ठाकुर बिन्द जनरेटर खराब कर दिये जिसको शपथकर्ता के पिता चौटहिल धर्मेन्द्र कन्नौजिया देख लिये थे व विरोध किय कि उसी दौरान घराती व बराती के बीच जनरेटर खराब होने की बात को लेकर विवाद हो गया जिसको शपथकर्ता के पिता धमेन्द्र कन्नौजिया और बारात के लोग मामले को शान्त करा रहे थे कि इसी दौरान जिसके घर बारात गयी थी उनके बगल के अभियुक्त सिद्ध बिन्द व अन्य अभिुक्तगण राहुल बिन्द व ठाकुर बिन्द निवासी बौरीबौझ चौर ने शपथकर्ता के पिता धर्मेन्द्र कन्नौजिया को जाति सूचक शब्द से गाली देते हुए धोबिया धोबिन कहते हुए जो छेकाई में आया था कहते हुए शपथकर्ता के पिता धर्मेन्द्र कन्नौजिया को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा से मारपीट कर दाहिने पैर के जाँघ हड्डी तोड़ दिये तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे। यह कि शपथकर्ता ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजेश कुमार व चन्द्रशेखर बिन्द व अन्य बरातियों के सहयोग से 108 एम्बुलेन्स के माध्यम से चोटहिल धर्मेन्द्र कन्नौजिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानीपुर दुर्गागंज ले गया जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चोटहिल के चोटो की गम्भीरता को देखते हुए डाक्टर द्वारा जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिये रेफर कर दिया गया था। जहाँ भी चोटहिल की गम्भीरता को देखते हुए जिला अस्पताल ज्ञानपुर के डाक्टर ने चोटहिल को

बी०एच०यू० ट्रामा सेन्टर वाराणसी के लिये रेफर कर दिया गया था। किन्तु चोटहिल के चोटो की अत्यन्त गम्भीरता, उनकी चोट में असहनीय दर्द को देखते हुए तत्काल उपचार के लिये चोटहिल को तत्काल उपचार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बी०एच०यू० न ले जाकर भदोही मे ही स्थित प्राईवेट अस्पताल जीवन ज्योति मे ले जाकर दवा इलाज कराया और शपथकर्ता अपने पिता चोटहिल धर्मेन्द्र कन्नौजिया द्वारा घटना कारित करने वाले व्यक्तियो के नाम बल्दियत व पता बताने पर दिनांक 20.05.2025 को अभियुक्त सिद्ध व अन्य अभियुक्तगण राहुल बिन्द व ठाकुर बिन्द के विरूद्ध शपथकर्ता ने प्रार्थना पत्र थाना दुर्गागंज मे देकर मुकदम उपरोक्त पंजीकृत कराया है। यह कि अभियुक्त सिद्ध व अन्य अभियुक्तगण से हम शपथकर्ता के चोटहिल पिता, पूर्व से कोई रंजिश नही थी, बल्कि जनवासे मे लगे जनरेटर को अभियुक्त सिद्ध व अन्य अभियुक्तगण द्वारा खराब करते हुए देख लेने पर अभियुक्तगण ने शपथकर्ता के पिता को जाति सूचक शब्द से अपमानित करते हुए गाली गलौज देते हुए बेरहमी से लाठी डण्डा से मारपीट कर दाहिने पैर का जाँघ तोड़कर घायल कर दिये व जान से मारने की धमकी दिये जिस बिना पर जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सिद्ध काबिल खारिज के है। यह कि अभियुक्त सिद्ध व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने परसही तौर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त कायम कराया है। यह कि अभियुक्त सिद्ध व अन्य अभियुक्तगण द्वारा शपथकर्ता के पिता को जाति सूचक शब्द से अपमानित करते हुए गाली गलौज देते हुए चोट कारित कर घोर उपहित कारित किया गया है। व जान से मारने की धमकी दी गयी है। और अभियुक्त सिद्ध व अन्य अभियुक्तगण दोषी है। और मुकदमा अपराध में नामजद अभियुक्त है जिस बिना पर जमानत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। यह कि अभियुक्त सिद्ध व अन्य अभियुक्तगण एक मनबढ़ दबंग व क्रूर अपराधी है। जो वैवाहिक जैसे शुभकार्यों में व्यवधान डालने की नियत से जानबूझकर अपराध उक्त कारित किया है। यह कि अभियुक्त सिद्ध जमानत पर रिहा हो जाने के बाद जिला व देश से बाहर चला जायेगा और हम शपथकर्ता व अन्य साक्षीगण पर दबाव डालता है और गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देता रहता है। यह कि अभियुक्त सिद्ध की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

5. विद्वान् विशेष अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त तथाकथित अपराध की घटना में संलिप्त रहा है। जमानत पर छूटने पर पुनः इसी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो जायेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर घटना दिनांक व समय को वादी मुकदमा के पिता के साथ मार पीट की, उसे अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.01.2026 से अंतरिम जमानत पर है, मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास एवं पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को

दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शुद्ध कुमार बिंद उर्फ़ सिद्धू बिन्द पुत्र रामपाल बिंद निवासी बौरीबोझ, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही, का जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–60/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 117(2)बी.एन.एस व धारा 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–दुर्गागंज, जिला–भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 1,00,000/– रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:

1. प्रार्थी/अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा और विचारण में सहयोग करेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 09.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.11 16:20:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court